भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2439**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और आसियान के साथ भारत की एफटीए वार्ता

2439 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2024 में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और आसियान के साथ भारत के विदेश व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता की स्थिति क्या है;

(ख) ब्रिटेन के साथ चल रही एफटीए वार्ता में सरकार, विशेष रूप से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के बाजार पहुंच, पेशेवरों के लिए गतिशीलता, सामाजिक सुरक्षा समझौते और पर्यावरण या कार्बन कराधान जैसे क्षेत्रों में, किन प्रमुख प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा रही है;

(ग) भारत के व्यापार घाटे और विनिर्माण क्षेत्र पर इन एफटीए को अनुमानित प्रभाव क्या है; और

(घ) चल रही व्यापार वार्ता में घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने जून 2022 में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता आरंभ की। मार्च 2025 तक वार्ता के 10 दौर आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें अंतिम दौर दिनांक 10-14 मार्च, 2025 तक ब्रुसेल्स में रहा।

भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौता वार्ता (एफटीए) दिनांक 13 जनवरी 2022 को आरंभ हुई। अब तक वार्ताओं के 14 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। कुछ माह के लिए एक संक्षिप्त विराम के पश्चात, दिनांक 24 फरवरी 2025 को वार्ता पुन: आरंभ हुई है।

दिनांक 13 अगस्त, 2009 को आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एटिगा) पर हस्ताक्षर किए गए गए और यह भारत, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के मामलें में दिनांक 1 जनवरी, 2010 को लागू हुआ। दिनांक 01 अगस्त, 2011 तक आसियान के सभी सदस्य एफटीए के हस्ताक्षरकर्ता बन गए और समझौता पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गया।

(ख): भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच, पेशेवरों के लिए मोबिलिटी आदि सहित विभिन्न नीतिगत क्षेत्र चल रही वार्ताओं के भाग हैं।

(ग) और (घ): दिनांक 13 अगस्त, 2009 को आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एटिगा) पर हस्ताक्षर किए गए और यह दिनांक 1 जनवरी, 2010 को लागू हुआ। वित्तीय वर्ष 2024 में, व्यापार की कुल मात्रा 120.87 बिलियन अमरीकी डालर वस्तु मूल्य है।

यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ वार्ताओं में, दोनों पक्षों का उद्देश्य एक निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और वाणिज्यिक रूप से सार्थक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को अंतिम रूप देना है। एफटीए में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) सहित सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है।

*****